

राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-एफ35/सा.प्र./ए.सी. रख रखाव कार्य/2025-26/ 813

दि 013/6/2025

सीमित निविदा सूचना

राज्यपाल महोदय की ओर से राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय जयपुर एवं नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजिल पर संचालित बीमा विभाग कार्यालय में स्थापित 43 नग ए.सी. की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य करवाया जाना है। इस हेतु रजि. फर्म / कम्पनी संस्था से दरे आमंत्रित की जाती है। सम्बन्धित फर्म / कम्पनी / संस्था, निर्धारित निविदा प्रपत्र में दिनांक 20.06.25 दोपहर 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें राजस्थान लोक उपापन पोर्टल (<http://sppp.rajnic.in>) एवं विभाग की वेबसाइट www.sipf.rajasthan.gov.in से डाउनलोड की जा सकती हैं। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय से कार्यालय समय में दिनांक 20.06.25 को सायं 2.00 बजे तक प्राप्त किये जा सकते हैं। दरे प्रस्तुत करने से पूर्व ए.सी. का कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौका मुआवना/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष उपापन समिति द्वारा दिनांक 20.06.25 को सायं 4.00 बजे खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

Pranav
13/06/2025
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष,
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग,
राज0जयपुर



राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ35/सा.प्र./ए.सी. रख रखाव कार्य/2025-26/ 813

दि 13/6/2025

1. मै. विनायक एसोसिएट,
62, नटराज कोलोनी, टोंक फाटक,
जयपुर।
2. मै. ओम एसोसिएट,
ए-63, न्यू सांगानेर रोड
सोड़ाला, जयपुर।
3. मै. एम आर डिस्ट्रीब्यूटर्स
बी-133 गंगा सागर कॉलोनी
वैशाली नगर, जयपुर।
4. नोटिस बोर्ड।

विषय: 43 नग ए.सी की मरम्मत एवं वार्षिक रखरखाव का कार्य।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय जयपुर, मे स्थापित 43 नग ए.सी की मरम्मत एवं रख रखाव कार्य करवाया जाना है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें संलग्न कर भिजवाई जा रही है। निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, जयपुर के कार्यालय से भी कार्यालय समय में दिनांक: 20.6.25 को सांय 2.00 बजे तक भी प्राप्त किये जा सकते हैं। अपनी दरें प्रस्तुत करने से पूर्व ए.सी का कार्यालय में व्यक्तिशः उपस्थित होकर मौका मुआवना/स्थिति का अवलोकन किया जा सकता है। निर्धारित निविदा प्रपत्र दिनांक: 20.6.25 सांय 3.00 बजे तक कार्यालय में भरकर प्रस्तुत करनी होगी। प्राप्त निविदाओं को उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष क्रय समिति द्वारा दिनांक: 20.6.25 को सांय 4.00 बजे खोला जाएगा। विलम्ब से प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

(कुल अनुमानित लागत 1.55 लाख)

Pravind
13/06/2025

संयुक्त निदेशक(मुख्यालय),

कार्यालयाध्यक्ष

राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग,

राज. जयपुर।

2/5

राजस्थान सरकार
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

विषय:- 43 नग ए.सी. की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) हेतु निविदा प्रपत्र

1. नाम फर्म / कम्पनी / संस्था:-
पता:-
टेलीफोन:-
पैन नं.:-
फर्म का रजि. नं.:-
GST नं.:-

2. संदर्भ निविदा विज्ञप्ति क्रमांक दिनांक
3. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय एवं नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजित पर स्थित बीमा विभाग कार्यालय में स्थापित 43 ए.सी. हेतु निम्नानुसार वार्षिक रख रखाव (AMC) की दरें दी जानी है।

क्र. सं.	विवरण	प्रति ए.सी. वार्षिक दर (सभी कर सहित रु. में)
1.	43 ए.सी. की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) का कार्य मय सामान सहित।	

4. राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग मुख्यालय एवं नेहरू सहकार भवन में चतुर्थ मंजित पर स्थित बीमा विभाग कार्यालय में जयपुर में 43 ए.सी. की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) का कार्य करवाया जाना है।
5. ए.सी. की मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) नवीन बिल्डिंग में कार्यालय शिफ्ट होने या एक वर्ष, जो भी पहले हो, के लिए किया जायेगा तथा कार्य अवधि अनुसार आनुपातिक त्रैमासिक भुगतान देय होगा। कार्य अवधि ए.सी. की मात्रा में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है।
6. दरें एक वर्ष के लिए मान्य होंगी। जिसे 3 माह और बढ़ायी जा सकती है। अनुबन्धित फर्म उसी दर पर कार्य करने के लिए बाध्य होगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर

Rahad
13/06/2025

3
5

राजस्थान सरकार

राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर

ए.सी. के मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) हेतु निविदा की सामान्य शर्तें

1. ए.सी. के मरम्मत एवं वार्षिक रख रखाव (AMC) के कार्य हेतु प्रति ए.सी. एवं वॉटर कूलर की वार्षिक दर से दी जानी है।
2. ए.सी. की वार्षिक रख रखाव (AMC) के कार्य का भुगतान तभी किया जायेगा जबकि अनुबन्धित फर्म द्वारा प्रत्येक माह में एक बार आवश्यक रूप से ए.सी. की जाँच करने एवं केयर टेकर / सहायक केयर की सही प्रकार से कार्य करने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर कार्य के आधार पर आनुपातिक भुगतान त्रैमासिक किया जायेगा।
3. ए.सी. की वार्षिक रख रखाव (AMC) की अवधि में यदि कोई ए.सी. बन्द रहा तो बंद ए.सी. को ठीक करने के लिए सूचित किये जाने से एक दिवस में ठीक किया जायेगा। एक दिवस के बाद ठीक नहीं होने पर 100/- रु प्रति दिन की पेनल्टी अनुबन्धित फर्म पर आरोपित की जायेगी। पेनल्टी की राशि अनुबन्धित फर्म के त्रैमासिक बिल से काटी जायेगा।
4. रख रखाव अवधि में ए.सी. में पार्ट्स खराब होने पर केवल मूल एवं विनिर्मित पार्ट्स लगाकर अनुबन्धित फर्म को अपने खर्च पर ठीक करना होगा। इस हेतु विभाग द्वारा किसी प्रकार का अलग से व्यय देय नहीं होगा।
5. रखरखाव अवधि में कार्यालय समय में ए.सी. खराब होने पर मैकनिक को शीघ्र भेजना होगा।
6. निविदा अवधि समाप्त होने पर सभी ए.सी. को चालू हालत में केयरटेकर को सम्भलवाने होंगे।
7. सफल निविदादाता को 500 रु के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग को एग्रीमेन्ट भरकर देना होगा, एवं कुल व्यय राशि का 05 प्रतिशत कार्य सम्पादन प्रतिभूति के रूप में बैंकर चेक / डी.डी. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर के नाम से जमा करवाने होंगे।
8. रख रखाव अवधि में उत्पन्न होने वाली कोई भी खराबी अनुबन्धित फर्म को स्वयं के खर्च पर ठीक करनी होगी। ए.सी. को सुचारु रूप से चालू रखना होगा।
9. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 नियम 2013 एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के सभी उपबन्ध प्रभावी रहेंगे। जिसमें निहित शर्तों की पालना के लिए अनुबन्धित फर्म बाध्य होगी।
10. निविदा प्रपत्र स्याही से भरा जाएगा। पेंसिल से भरी हुयी निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

4
5

Prakhar
13/06/2025

11. किसी प्रकार का विवाद होने पर निदेशक /अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर का निर्णय अन्तिम होगा। विवाद होने पर न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।
12. निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार निदेशक /अति. निदेशक (प्रशासन) राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर को होगा।
13. निविदा अवधि में कार्य में होने वाली किसी भी दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था / निविदादाता की होगी।
14. उक्त कार्यो हेतु निविदादाताओं द्वारा निर्धारित प्रारूप में दरें दिनांक 20.6.25 सांय 3.00 बजे तक बन्द लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी।

Prawad
13/06/2025
संयुक्त निदेशक (मुख्यालय)
कार्यालयाध्यक्ष
राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग
राज., जयपुर

मैं / हम निदेशालय राज्य बीमा एवं प्रा0 निधि विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा जारी निविदा संख्या वर्ष दिनांक में वर्णित सभी शर्तों को भली भांति पढ़ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तों की पालना करने के लिए सहमत है। एवं सहमति के स्वरूप मेरे / हमारे द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर

S
S